न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बापिणी जिला फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– **अमिता विश्नोई (आर.ए.एस.)**

राजस्व वाद संख्या :– 109 / 2023
Gcms No :– 2023 / 39

वादीगण :– **बनाम** **प्रतिवादीगणः–**

वादीगण :–

1. बंशीलाल पुत्र शेराराम
2. पदमाराम पुत्र शेराराम
3. देवाराम पुत्र शेराराम
4. रूपाराम पुत्र शेराराम
5. सोनाराम पुत्र शेराराम
जाति सुथार निवासी पुनासर खुर्द तहसील बापिणी जिला फलौदी।

बनाम

प्रतिवादीगणः–

1. जेठाराम पुत्र ज्ञानाराम
2. अशोक सुथार पुत्र बाबुलाल
3. नेमीचप्द्र पुत्र बाबुलाल
4. रमेश कुमार पुत्र बाबुलाल
5. सुथार किशन पुत्र मदनलाल
6. गुमानाराम पुत्र मोतीराम
7. पुनाराम पुत्र ईशराराम
सभी जाति सुथार निवासी पुनासर खुर्द, तहसील बापिणी जिला फलोदी।
8. शाखा प्रबन्धक, आईसीआईसीआई बैंक शाखा पुनासर जिला फलौदी।
9. श्रीमान तहसीलदार बापिणी।

वाद अर्न्तगत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वाद–प्रकरण में पैरोंकार अभिभाषक उपस्थित :–

अधिवक्ता वादीगण की ओर से :– राजुराम चौधरी।
अधिवक्ता प्रतिवादीगण सख्या (1से 8) की ओर से :– कोई नहीं।
अप्रार्थीगण सख्या (09) की ओर से :– राज–पैरोकार

–:: निर्णय ::–

दिनांक 27/ 09 / 2025

वादीगण का वाद प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि – तहसील बापिणी के राजस्व ग्राम पुनासर खुर्द के खसरा नम्बर 348 रकबा 12.4643 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 350 रकबा 4.6458 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 351 रकबा 3.7959 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 352 रकबा 10.4652 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 353 रकबा 2.7438 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 354 रकबा 3.3508 हैक्टेयर, भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की सामलाती खतेदारी भूमि स्थित है वादी ने वादग्रस्त भूमि का विधिवत बन्टवाड़ा करवाने के लिए वाद न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरीये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण 01 से 07 व 08 की तरफ से कोई नहीं उपस्थित हुए। जिनके विरूद्व वाद में दिनांक 08.02.2024 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जा कर वादीगण की बहस सुनकर वादीगण का वाद धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्ताकारी अधिनियम के तहत वाद बन्टवारा स्वीकार करके दिनांक 03.04.2025 को प्राथमिक डिकी पर्चा जारी कर तहसीलदार बापिणी से विभाजन प्रस्ताव तलब किया गया।

सहायक कलेक्टर बापिणी

तहसीलदार बापिणी की ओर से विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ जिस पर उभय पक्ष अधिवक्ता के तर्क सुनने पर विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादीगण की वादग्रस्त भूमि का बन्टवाड़ा कर अन्तिम डिक्री जारी किये जाने का आग्रह किया। तहसीलदार बापिणी द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुऐ प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर शामिल मिसल किया जा कर हस्तगत पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन एवं मनन करने पर वादग्रस्त भूमि का विभाजन प्रस्ताव माफिक बन्टवाड़ा किया जाकर खाता अलग किया जाने की मांग दावें में की है। वादीगण एंव प्रतिवादीगण को नियमानुसार अपना पक्ष प्रस्तुत करने के अनेक अवसर दिये गये जा चुके हैं। उभयपक्षकारान की साक्ष्य सुनवाई के बाद प्रस्ताव पर को आपत्ति नहीं आयी। और हस्तगत वाद में विधिसम्मत बन्टवारा प्रस्ताव और पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर वादीगण का वाद न्यायालय परीक्षण, विवेचना एंव विश्लेषण के द्वारा इस वाद में बन्टवारे के सम्बन्ध में यह न्यायालय की राय व अभिमत से विभाजन प्रस्ताव न्यायहित में उचित एंव समर्थन योग्य पाया है। अतेव हस्तगत दावा अर्न्तगत धारा 53, 88, 188 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाता हैं।

चूकि वादीगण के वाद का मुख्य अनुतोष बंटवाडे का है न्यायालय निर्देशानुसार राजस्थान काश्तकारी नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए सभी सहखातेदारों को सुचना देकर मौका पर उपस्थित रहने की हिदायत के बाद वादग्रस्त कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि में मौका पर जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया हैं।

अतः तहसीलदार बापिणी द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाने योग्य होने से मंजुर किया जा कर वादीगण का वाद को माफिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री योग्य पाया है।

आदेश

वादीगण का वाद स्वीकार कर माफिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम पुनासर खुर्द की जमाबन्दी सम्वंत 2073–2076 के खाता नम्बर 271 का विभाजन इस प्रकार किया जाता है कि :–

कम संख्या	नाम खातेदार	हिस्से मे रखे खसरे के नम्बर	रकबा हैक्टेयर में	किस्म	लगान
1.	बंशीलाल 1/5, पदमाराम 1/5, देवाराम 1/5, रूपाराम 1/5, सोनाराम 1/5 पिता शेराराम जाति सुथार सा. देह खातेदार रहनः–बंशीलाल,देवाराम,रूपाराम, सोनाराम का हिस्सा रहन आईसीआईसीआई बैक पुनासर	354 352 353	3.3508 8.3213 0.7072	बारानी–4 बारानी–4 बारानी–4	0.17 0.41 0.03
2.	गुमानाराम पुत्र मोतीराम 1/2, पुनाराम पुत्र ईशराराम 1/2 जाति सुथार सा. देह खातेदार रहनः–गुमानाराम का हिस्सा रहन आईसीआईसीआई बैक पुनासर	348	12.4643	बारानी–4	0.87
3.	अशोक सुथार, नेमीचन्द, रमेश कुमार पिता बाबुलाल 3/8, सुथार किशन पुत्र मदनलाल 1/8, जेठाराम पुत्र झानाराम 1/2 जाति सुथार सा. देह खातेदार	350 351 352 353	4.6458 3.7959 1.9876 1.9500	बारानी–4 बारानी–4 बारानी–4 बारानी–4	0.23 0.19 0.09 0.10

सहायक कलेक्टर बापिणी

4.	बंशीलाल,पदमाराम,देवाराम,रूपाराम, सोनाराम पिता शेराराम 1/2, अशोक सुथार, नेमीचन्द, रमेश कुमार पिता बाबुलाल 3/16, सुथार किशन पुत्र मदनलाल 1/16, जेठाराम पुत्र ज्ञानाराम 1/4 जाति सुथार सा. देह खातेदार–रहनः–बंशीलाल, देवाराम, रूपाराम, सोनाराम का हिस्सा रहन आईसीआईसीआई बैक पुनासर	353 352	0.0866 0.1563	बारानी–4 बारानी–4	0.01 0.02

उक्त विभाजन प्रस्ताव को सारणी अनुसार हिस्से में रखते हुऐ तथा वादीगण एंव प्रतिवादीगण के हिस्सा जमाबन्दी में दर्ज खातेदारी नाम व हिस्सेंनानुसार भूमि बंट में विभाजन प्रस्ताव अनुसार रखीं जाती है अन्तिम विभाजन प्रस्ताव फर्द दिनांक 31/07/2025 निर्णय का भाग रहेगा। तहसीलदार बापिणी तदनुसार अमल दरामद करें अंतिम डिक्री पर्चा मूर्तिब हो कर सम्बधित को पालनार्थ तेहरीर जारी हो पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27/08/2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

अमिता विश्नोई (RAS)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बापिणी